न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 08/2017 ::

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भुण्डाराम पुत्र वचनाराम उर्फ शिवनारायण जाति देवासी (राईका), निवासी बीठू, तहसील रोहट, जिला पाली (राज.)		1. जोगाराम पुत्र अचलाराम जाति साटीया, निवासी डूँगरपुर तहसील रोहट जिला पाली (राज.) 2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित

रेस्पोडेण्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोहरदास वैष्णव उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 1-8-19

अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत तहसीलदार रोहट के राजस्व विविध प्रकरण संख्या 04/2015 बअनवान जोगाराम बनाम भुण्डाराम में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 के विरुद्ध पेश की हैं। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट जरिये सम्मन एवं अपीलाधीन रेकार्ड तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील में वर्णित तथ्यों का उल्लेख करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय विधी विरूद्ध, अनूचित, मनमाने तौर से पारित किया गया है। प्रकरण के तथ्यों, जवाब, साक्ष्यों, सबूत एवं संबंधित विधी का अनुशीलन एवं विवेचन कर सकारण प्रकरण का निर्णय नहीं कर पूर्व मनस्थिति बनाकर तहसीलदार रोहट द्वारा निर्णय पारित किया जो प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है। उक्त निर्णय नॉन स्पिकींग निर्णय की श्रेणी में आता है, क्योंकि निर्णय में दर्ज फांईडिंग तक पहुँचने के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गवाह, साक्ष्य नहीं लिए, मात्र दस्तोवजात पर निर्भर किया है, प्रकरण में प्रार्थी की साक्ष्य पेश कर उसे साबित करना होता है, लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट जोगाराम अपने कथनों को साबित करने के लिए साक्ष्य देने Witness box में नहीं आए अर्थात उसके मौखिक अक्षरलिखित साक्ष्य/शपथ पत्र दिया, जो निरस्त किए जाने योग्य है। हस्तगत प्रकरण इसी न्यायालय द्वारा इस आशय से दिनांक 18.11.2016 को रिमाण्ड किया गया था

जिला कलेक्टर पाली

कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर खसरा नम्बर 243 एवं 240/2 में हुए आवंटन को दृष्टिगत रखते हुए, उभयपक्ष को आवंटित भूमियों का सीमांकन करवा कर एवं उस पर कब्जे संबंधी विस्तृत जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने उपरोक्तानुसार आदेश की कोई भी पालना नहीं की एवं अन्तिम रूप से अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2017 को गवाहान दुर्गाराम एवं किस्तुरराम के शपथ पत्र प्रस्तुत किए, लेकिन जिरह हेतु उपस्थित नहीं रखा, बिना जिरह के शपथ पत्रों का कोई महत्व नहीं है, न ही विधी अनुसार ऐसे गवाहों की साक्ष्य मान्य है। शपथ पत्रों में मूल प्रार्थना पत्र से भी अधिक अतिवाक् समूचित किए गए है। जिनकी कानून इजाजत नहीं देता है। अपने इस कथन की ताईद में वकील अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टांत 2004 WLC Page 734 (Raj) भी प्रस्तुत किया। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों में वाद कारण की तारीख का उल्लेख नहीं किया है उक्त परिस्थितियें में अप्रार्थी द्वारा वाद करण उत्पन्न नहीं होने का कथन सही नहीं है। वाद कारण किस दिनांक को हुआ रेस्पो./प्रार्थी के मूल प्रार्थना पत्र में भी उल्लेख नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी का रेस्पोडेण्ट जोगाराम की जमीन पर वक्त आवंटन से ही कब्जा काश्त कायम था। प्रार्थी रेस्पोडण्ट ने भूमि बाद में खरीद की। खरीद पूर्व ही खसरा नम्बर 240/2 की भूमि पर अपीलार्थी काबिज था। अपीलार्थी द्वारा अपनी उक्त खातेदारी भूमि जरिए रजिस्टर्ड बेचाण मांगीलाल गोदी पुत्र भुण्डाराम निवासी बिठू को बेचाण हस्तानान्तरण कर दिया तथा कब्जा मांगीलाल को सौंप दिया है तो वर्तमान में अपीलार्थी का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध ग़लत तथ्यों को दर्ज करते हुए, प्रार्थना पत्र दिनांक 18.08. 2015 पेश किया, जो निरस्त योग्य है, क्योंकि उक्त दिवस को उक्त आराजी पर अपीलार्थी का कब्जा ही नहीं था। क्रेता मांगीलाल का था प्रार्थी/रेस्पोडेण्ट द्वारा न्यायालय की पूर्व अनुमति लिए बगैर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जो बिल्कूल ग्राहय नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वाद कारण उत्पन्न होने एवं वाद कारण का समय अंकित होने से निरस्त योग्य है। मौजा बिठू के खसरा नम्बर 240 व अड़ौस–पड़ौस के खसरा नम्बर के नक्शा भू विभाग पश्चात तारीख 15.09.2015 का पटवार हल्का बीठू द्वार जारी की सत्यप्रति जो अधीनस्थ न्यायायल की पत्रावली में उपलब्ध है, मूल खसरा नम्बर 240/1 रकबा 28 बीघा 19 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 240/2 रकबा 102 बीघा 15 बिस्वा कुल 131 बीघा 14 बिस्वा काफी बड़ा है। जिसमें खसरा नम्बर 240/7 रकबा 25 बीघा नक्शे में कहीं अंकित नहीं है। इसलिए विधिक रूप से यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा रेस्पोडेण्ट की खसरा नम्बर 240/7 रकबा 25 बीघा में से 70 बीघा भूमि पर जबरन कब्जा किया है, पटवार हल्का के पास नक्शा किस्मवार भूमि एकीकरण है, जिसमें खसरा नम्बर 240/7 की भूमि का अंकन तरमीम तक नहीं है। पटवार हल्का द्वारा बिना आधार के व बिना नाप–चौक किए खसरा

जिला कलेक्टर, पाली

नम्बर 240/7 की भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण बता दिया, जबकि अपीलार्थी का उक्त भूमि पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त था, ऐसी स्थिति में उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील स्वीकार फरमावे व अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्य 1 ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम बीठू के खसरा नम्बर 240/7 रकबा 25 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का रेस्पोडेण्ट जोगाराम जाति साटीया निवासी बीठू हाल निवासी डूँगरपुर एक खातेदार काश्ताकार है, जो प्रमाणित प्रति मातहत अदालत की पत्रावली के संलग्न प्रमाणित प्रति जमाबन्दी संवत 2068–2071 से स्पष्ट है तथा इससे पूर्व उक्त आराजी के खसरा नम्बर 240/2/4 थे, जिन्हें जरिए सुधीपत्र संख्या 39 दिनांक 09.01.2012 क द्वारा 240/7 दर्ज किया गया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 18.10.2015 जो मांगीलाल मीणा भू.अ. निरीक्षण बीठू, पटवार हल्का बाण्डाई व पटवार हल्का बीठू क द्वार मौके पर काबिज समस्त खातेदार का नजरी नक्शें के अनुसार सीमांकन किया जाकर फिल्ड बुक तैयार की गई, जिसमें खसरा नम्बर 240/1 एवं 240/2 की सीमाएं दर्शाई गई है। मौका रिपोट के बिन्दु संख्या 5 व 9 के अनुसार फिल्ड बुक संख्या 6 व 7 जो खसरा नम्बर 240/2 में है, मौके पर भूण्डाराम पुत्र वचनाराम का कब्जा है, जो अनाधिकृत है, ऐसा उल्लेखित है। क्योंकि उक्त भूण्डाराम खसरा नम्बर 240/2 का खातेदार नहीं है तथा उक्त 6 व 7 फिल्ड बुक का रकबा 15 बीघा है। राजस्व रेकर्ड अनुसार खसरा नम्बर 243/68 भूण्डाराम पुत्र शिवनारायण कौम राईका खातेदार जमाबन्दी अनुसार दर्ज है। रेकार्ड में उक्त खसरे की तरमीम नहीं है। खसरा नम्बर 243 का सीमांकन हेतु भूण्डाराम द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया, जो मातहत अदालत की पत्रावली संलग्न है। जिसमें खसरा नम्बर 241 के खातेदार के पास मौके पर कब्जे में खसरा नम्बर 243 का भू भाग की है, खसरा नम्बर 243 के सीमांकन के बाद ही कार्यवाही संभव होना अंकित किया है। ऐसा इसलिए निवेदन किया कि भूण्डाराम खसरा नम्बर 243/2 के कुछ भाग पर काबिज था, जबकि खातेदार 243/68 का था, उसे टालने हेतु किया गया, अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा खसरा नम्बर 243/7 की गिरदावरी की नकलों का हवाला देते हुए उसके द्वारा ही काश्त करना जाहिर किया है। दूसरी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.02.2016 की नायब तहसीलदार रोहट तथा भू अभिलेख निरीक्षक बीठू की संलग्न मातहत पत्रावली है, जिसके अनुसार भी भूण्डाराम पुत्र शिवनारायण देवासी साकिन बीठू खसरा नम्बर 243/68 रकबा 15 बीघा में खातेदार दर्ज है। जबकि 240/2 भू भाग पर वह काबिज है। लेकिन खसरा नम्बर 240/2 में उसके नाम कोई खातेदारी भूमि नहीं है तथा खसरा नम्बर 240/2 एवं 243/68 दोनों पृथक खसरे है तथा दूरी पर स्थित है। ऐसी स्थिति में भूण्डाराम का जोगाराम की खातेदारी भूमि पर कब्जा किया जाना विधि विरूद्ध है। खसरा नम्बर 243/68

जिला कलेक्टर, पाली

में 76 आवंटी है। मौके पर भूमि खाली नहीं पड़ी है तथा रकबा 1070.11 बीघा है, जिसका सीमांकन सर्वे टीम से नापकर कराने पर एवं बाद में तरमीम हो सकती है। ऐसी स्थिति में भूण्डाराम के पास खसरा नम्बर 243/68 के किसी भी भू भाग पर कब्जा नहीं होने से जोगाराम साटीया की खातेदारी भूमि पर अतिक्रमण कर दिया। भू अभिलेख निरीक्षण बीठू की रिपोर्ट दिनांक 14.08.2015 में भी जोगाराम की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 240/7 पर अप्रार्थी भूण्डाराम द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने का उल्लेख करते हुए उसकी बेदखली हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत कार्यवाही करने की अनुशंषा भी की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाई जावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट एंव रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया। अनुसूचित जाति की भूमि पर किसी अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 183 बी के तहत Summary Trial के द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाने का प्रावधान है। अपीलाण्ट भूण्डाराम ग्राम बीठू तहसील रोहट के खसरा नम्बर 243/68 की आराजी का खातेदार है तथा जोगाराम खसरा नम्बर 240/7 की भूमि का खातेदार है। दोनों ही पृथक–पृथक खसरा के खातेदार है। भूण्डाराम को आवंटित आराजी खसरा नम्बर 243/68 की मूल खसरा नम्बर 243 में कहीं तरमीम नहीं है। दोनों की खातेदारी भूमि का कहीं कोई संबंध नहीं है, दोनों मूल खसरे अलग–अलग है। रेस्पोडेण्ट के खसरे में अपीलाण्ट का आवंटन अथवा किसी प्रकार का कोई हक–अधिकार भी नहीं है। जो भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोट दिनांक 14.08.2015 एवं नायब तहसीलदार रोहट, भू अभिलेख निरीक्षक बीठू, पटवारी हल्का बीठू व पटवारी हल्का बाण्डाई की रिपोर्ट दिनांक 18.10.2015 से स्पष्ट है। अप्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 240/7 के संबंध में किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह सिद्ध होता हो कि अपीलाण्ट का रेस्पोडेण्ट की कृषि भूमि में खसरा नम्बर 240/7 रकबा 25 बीघा की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक निहित है। अपीलाण्ट द्वारा मातहत अदालत में शपथ पत्र पेश किया, जिसमें खसरा नम्बर 243/68 में उक्त आवंटन से काश्त करना जाहिर किया हैं। रेस्पोडेण्ट की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं किया है। ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि अपीलाण्ट का 25.07.2015 से पूर्व रेस्पोडेण्ट जोगाराम की खातेदारी भूमि पर कब्जा रहा, ऐसी स्थिति में यह भी साबित नहीं होता कि प्रार्थना पत्र म्याद बाहर है अथवा बाद कारण कब उत्पन्न हुआ उल्लेख नहीं है, वाद कारण 25.07.2015 से ही उत्पन्न होना स्पष्ट है। रेस्पोडेण्ट जोगाराम की खातेदारी भूमि 25 बीघा खसरा नम्बर

जिला कलेक्टर, पाली

240/7 में है तथा उसी भूमि के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 25.07.2015 में अंकित अनुसार करीब 10 बीघा भूमि पर भूण्डाराम द्वारा कब्जा किया गया है। वकील अपीलाण्ट द्वारा लिखित अभिकथनों एवं वक्त बहस अपने कथनों में जोगाराम की खातेदारी भूमि पर अपीलाण्ट भूण्डाराम का कब्जा होना स्वीकार किया है तथा यह भी कथन किया कि उसका पुराना कब्जा लगभग 50 वर्षो से है। हालाकि पत्रावली पर अथवा अपील में पुराना कब्जा होने का तथ्य साबित नहीं कर पाये, न ही दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश कर सके। ऐसी स्थिति में भूण्डाराम के द्वारा जोगाराम की खातेदारी पर कब्जे बाबत स्वीकार्य तथ्य को सिद्ध करने की आवश्कता नहीं रह जाती है, इस प्रकार स्वीकार्य तथ्यों, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार एवं पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्टो के अनुरूप खसरा नम्बर 240/7 रकबा 25 बीघा कृषि भूमि को रेस्पोडेण्ट की खातेदारी भूमि में से करीब 10 बीघा भूमि पर भूण्डाराम देवासी द्वारा नाजायज कब्जा किया गया है। जिसे हटाये जाने एवं लगान का 50 गुणा जुर्माना आरोपित किए जाने के आदेश मातहत अदालत द्वारा जारी किए गए है, जो विधी सम्मत होने से उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायेचित नहीं है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलाण्ट सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार रोहट द्वारा प्रकरण संख्या 04/2015 बअनवान जोगाराम बनाम भूण्डाराम में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार रोहट को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 1-8-19 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

(राजस्थान)